रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2010/माघ 14, 1931
No. 44] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2010/MAGHA 14, 1931

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

अनुपूरक

मुम्बई, 2 फरवरी, 2010

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक की विभिन्न योजनाओं के संबंध में 26 नवंबर, 2009 को भारत सरकार की गजट प्रकाशन संख्या 222 में प्रकाशित तुलन पत्र एवं राजस्व लेखे के क्रम में भारतीय यूनिट ट्रस्ट(उपक्रम एवं निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 की धारा 21(4) के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रकाशित है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रशासक,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का
विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)
मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2009 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई), मुंबई की योजनाओं/फंडों अर्थात् 1. यूएस 64 बॉण्ड, 2. एआरएस बॉण्ड, 3. डीआईपी91 एवं 4. एमआईपी 96 IV के संलग्न तुलन पत्रों एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है एवं इन्हें प्रबंधन द्वारा जो कि कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई मे केंद्रीकृत है, कई शाखाओं एवं प्रमुख कार्यालयों (पूर्ववर्ती यूटीआई के, जिन्हें अब यूटीआई वित्तीय केंद्रों में बदल दिया गया है) से प्राप्त, संग्रहीत एवं विस्तारपूर्वक मिलान किए गए वित्तीय आंकड़ों/सूचना के विवरण के आधार पर तैयार किया गया है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्पादन करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन भी किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक समुचित आधार प्राप्त होता है।

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप तथा यहाँ संलग्न अनुबंध में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों एवं तालिका 'ड' में उल्लिखित लेखा टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।

ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ड' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :

i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि यथा 31 मार्च, 2009, एसयूयूटीआई की विभिन्न योजनाओं/प्लानों/फंडों की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।

ii) योजनाओं/फंडों अर्थात् 1. यूएस 64 बॉण्ड, 2. एआरएस बॉण्ड, 3. डीआईपी 91 और 4. एमआईपी 96 IV के उक्त राजस्व लेखे, आय का व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं ।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.,
सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 03.10.2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(अनुबंध, उक्त रिपोर्ट के अंश)

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर दिया था। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी, 2003 को "नियत तिथि " के रूप में अधिसूचित किया था। अत: उपरोक्त योजनाओं/फंडों के संबंध में एसयूयूटीआई के लेखे,निरसन अधिनियम के अनुसरण में तैयार किए गए हैं।

2. डिबेंचर एवं बॉण्ड में किए गए निवेश जिनमें सावधि ऋण (ऋण निवेश से संबंधित) भी शामिल हैं, में पिछले कई वर्षों के दौरान स्वीकृत ऐसे कई मामले शामिल हैं, जहाँ हालांकि बहुत पहले ही अनुबंधित अवधि बीत चुकी थी फिर भी पूर्ण रूप से सुरक्षा निर्मित नहीं की गई है । प्राप्त की गई सूचना के अनुसार (क): 39 मामलों में, कुल रु. 168.55 करोड़ हेतु सुरक्षा निर्मित ही नहीं की गई है तथा इनमें से 34 मामलों में जिसमें कुल रु. 165.17 करोड़ शामिल हैं, की वसूली/बीआईएफआर/परिसमापन की जा रही है। (ख): 35 मामलों में कुल रु.

106.26 करोड़ हेतु सुरक्षा पूर्ण रूप से निर्मित नहीं की गई है तथा इनमें से 29 मामलों में, जिनमें रु. 98.42 करोड़ शामिल हैं, की वसूली/बीआईएफआर/परिसमापन की जा रही है । पूर्ण आंकड़े/सूचना न होने के कारण ऋण पोर्टफोलियो की वसूली योग्यता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

3. एसयूयूटीआई ने सामान्यतया उचित रिकार्ड बनाए रखा है। इनमें, अचल आस्तियों की स्थिति /स्थल एवं परिमाणात्मक विवरण को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दर्शाए गए हैं। अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन पूरी तरह से नहीं किया गया है एवं भौतिक रूप से सत्यापित अचल आस्तियों का बही रिकार्ड के साथ मिलान जारी है। अचल आस्तियों की पुरानी/अमान्य/निष्क्रिय मदों को अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। साथ ही, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

4. पिछले वर्षों में बकाया मदों हेतु किए गए प्रावधान, अभी भी तुलन पत्र में उपस्थित हैं, जो हमारी राय में अपेक्षित राशि से अधिक हैं और इन्हें पुनरांकित कर दिया जाना चाहिए।

5. एसयूयूटीआई, यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विस लि. के जरिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हुए, वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कई संपत्तियों की बिक्री कर रहा है। हमारी राय में, बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि, बिक्री संबंधी प्रक्रिया में शीघ्रता लाने, संपत्तियों की बिक्री निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन एवं सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाई जा रही नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, इससे वित्तीय विवरणी पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त, हमारी राय में इन संपत्तियों की बिक्री हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया पारदर्शी न होते हुए प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए, निविदा हेतु, संपत्ति की उपस्थिति स्थान पर ही केवल ड्राप बॉक्स का रखा जाना, निविदा के समापन दिवस को ही विशेष समय का निर्धारण करना, दूर रहने वाले परंतु इसमें भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति(यों)को वंचित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ प्रमुख संपत्तियों की बिक्री, लगभग आरक्षित मूल्य पर की गई है।

साथ ही, सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा स्थापित की गई नीतियों के निश्चित महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन संपत्तियों की बिक्री संबंधी प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता था, जिस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.
सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 03.10.2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रशासक,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)
मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2009, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) की 2 योजनाएं अर्थात् उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1989 (वीईसीएयूएस I), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1991 (वीईसीएयूएस III), के संलग्न तुलन पत्र एवं साथ ही संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्पादन करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक समुचित आधार प्राप्त होता है।

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 के आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि " के रूप में अधिसूचित किया था।

उपरोक्त उल्लिखित हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे लेखा बहियों के समनुरूप हैं।

ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ज' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :

i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि यथा 31 मार्च, 2009 योजनाओं की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।

ii) योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे, वीईसीएयूएस-I एवं वीईसीएयूएस-III के मामले में उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए हुई आय की व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं ।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.,
सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 03/10/2009

के. एन. पृथ्वीराज, प्रशासक

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/41/09]

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

ADDENDUM

Mumbai, the 2nd February, 2010

In continuation of the Balance Sheets and Revenue Accounts for various schemes of Administrator of the Specified Undertaking of the Unit Trust of India for year ended 31st March 2009 published in Government of India Gazette Publication No. 222 dated 26th November 2009, the Auditors' Report is published in terms of Section 21(4) of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002.

AUDITORS' REPORT

The Administrator,
Specified Undertaking of
Unit Trust of India (SUUTI),
Mumbai

We have audited the attached Balance Sheets of Schemes/Funds, i.e. 1. US 64 Bonds, 2. ARS Bonds, 3. DIP 91, and 4. MIP 96 IV, of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) as on 31st March 2009 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date, annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management and have been prepared by the management, which are centralized at the

3934 GI/10—2

corporate office, Mumbai, on the basis of financial data/information of various branches and main offices (including those of the erstwhile UTI, since converted into UTI Financial Centers). Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the audit indicated herein, and as required by The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, and subject to the limitations of disclosure required therein and subject to our observations referred in annexure attached hereto and Notes to account referred in Schedule 'M', we report that;

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b. The Balance Sheet and related Revenue Accounts are in agreement with the books of account.

c. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'M' and the statement of significant accounting policies:

   i. the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 so as to exhibit a true and fair view of affairs of the various Schemes/funds of SUUTI as on 31st March 2009.

ii. the said Revenue Accounts of the Schemes / Funds i.e. 1. US 64 Bonds, 2. ARS Bonds, 3. DIP 91, and 4. MIP 96 IV show true and fair view of the Excess of Income over Expenditure .

FOR ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants

[Ashok Bhartia]

ASHOK BHARTIA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

Place : Mumbai
Dated : 03.10.2009

AUDITORS REPORT

(annexure, to & forming part of said Report)

1. The Unit Trust of India Act, 1963 was repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the Act, the Central Government, vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. The accounts of SUUTI, therefore, relating to the above mentioned Schemes/Funds have been drawn up pursuant to the said Repeal Act.

2. Investments in Debentures and Bonds including term loans (relating to debt portfolio) include a large number of cases sanctioned in earlier years, although the stipulated period has since elapsed but complete security has not been created so far. As per the information made available (a): Out of 39 cases involving Rs. 168.55 crore where security was not created at all, 34 cases involving Rs.165.17 crore were under Recovery/BIFR /Liquidation and (b): out of 35 cases involving Rs.106.26 crore where security was not fully created, 29 cases involving Rs.98.42 crore were under Recovery /BIFR/Liquidation. In the absence of complete data & information, the reliability of the debt portfolio cannot be commented.

393 GI)10-3

3. The SUUTI has been generally maintaining proper records, showing full particulars including quantitative details and situation/location of fixed assets. However, physical verification of the fixed assets has not been carried out fully and the reconciliation of physically verified assets with book records is still in progress. Obsolete/discarded/dead items of fixed assets are yet to be determined. And as such discrepancy found, if any, cannot be commented.

4. Certain provisions for outstanding items made in earlier years are still appearing in the Balance Sheet which in our opinion are in excess of required amount and should be written back.

5. SUUTI has been selling various properties during the financial year 2008-09 by giving advertisements in the different newspapers through UTI Infrastructure and Service Limited. In our opinion, considering the current market conditions, the policy needs to be revisited, to expedite the selling process, comply with the prescribed guidelines for selling the properties and to get the best price, which may have impact on the Financial Statements.

Further in our opinion the procedure followed to sell these properties have been restricted but not open e.g. placing the drop box for tender only at the place of location of the property, and fixation of particular time only on the last day of closing of the tender, which may deprive the person(s) who live far away but want to participate. Consequently few prime properties have been sold at almost reserve price.

Further the selling procedure of these properties could have been improved keeping in view of the exact thrust of the policies as laid down by the board so as to realize of best price, which we cannot comment.

FOR ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants

[Ashok Bhartia]

ASHOK BHARTIA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

Place: Mumbai
Dated: 03.10.2009

AUDITORS' REPORT

The Administrator,
Specified Undertaking of Unit
Trust of India (SUUTI),
Mumbai

We have audited the attached Balance Sheets of 2 Schemes viz. VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989 (VECAUS I) and VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) as at 31st March 2009 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management and have been prepared by the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standard generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the Audit indicated herein, and as required by the 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal)Act, 2002', and subject to the limitations of disclosure required therein, we report that :

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 has notified 1st February 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the

undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI mutual Fund.

Subject to our observations referred herein above, we further report that;

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit ;

b. The Balance Sheets and related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts ;

c. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the notes as per Schedule 'H' and the statement of Significant Accounting policies.

   i. the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal)Act, 2002', so as to exhibit a true and fair view of affairs of the Scheme as on 31st March 2009.

   ii. The said Revenue Accounts of the Schemes show a true and fair view of the Excess of Income over Expenditure for VECAUS-I and VECAUS-III for the year ended on that date.

FOR ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants

[Ashok Bhartia]
Place: Mumbai
Dated: 03.10.2009

K. N. PRITHVIRAJ, Administrator

[ADVT-III/4/Exty./41/09]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.